रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-जे.के.-अ.-25112023-250276 CG-JK-E-25112023-250276

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 775] No. 775] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 23, 2023/अग्रहायण 2, 1945 NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 23, 2023/AGRAHAYANA 2, 1945

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख)

अधिसूचना

जम्मू, 10 नवम्बर, 2023

क्रमांक जेईआरसी-जेकेएल/रेग/2023/15- विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 (2) (ज़ो) के साथ पठित धारा 127 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 126 के तहत मूल्यांकन अधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश से अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करने की प्रक्रिया प्रदान करने वाले निम्नलिखित विनियम बनाता है:

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ:

- (1) इन विनियमों को "संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग,केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करने की प्रक्रिया) विनियम, 2023"कहा जाएगा।
- (2) ये विनियम पूरे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में उनके संबंधित आपूर्ति क्षेत्रों में वितरण लाइसेंसधारियों पर लागु होंगे।
- (3) ये नियम आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ

इन विनियमों में. जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

7331 GI/2023 (1)

- क. "अधिनियम" का अर्थ विद्युत अधिनियम, 2003 (2003का 36) है;
- ख. "अपीलीय प्राधिकारी" का अर्थ अधिनियम की धारा 176 (2) (यू) के साथ पठित धारा 127 की उप-धारा (1) के तहत अधिसूचित प्राधिकारी है;
- ग. "आकलन अधिकारी" का अर्थ अधिनियम की धारा 126 के तहत नियुक्त मूल्यांकन अधिकारी है;
- घ. "आयोग" का अर्थ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग है;
- ङ. "लाइसेंसधारी" का अर्थ वितरण प्रणाली को संचालित करने और बनाए रखने और आपूर्ति के संबंधित क्षेत्र में उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करने के लिए अधिकृत वितरण लाइसेंसधारी है;
- च. "अधिकारी" का अर्थ आयोग का एक अधिकारी है;
- छ. "विनियम" का अर्थ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करने की प्रक्रिया) विनियम, 2023: और
- ज. इन विनियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए लेकिन अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम में दिए गए हैं। यहां प्रयुक्त अभिव्यक्तियां, लेकिन इन विनियमों या अधिनियमों में विशेष रूप से परिभाषित नहीं हैं, लेकिन सक्षम विधायिका द्वारा पारित किसी भी कानून के तहत परिभाषित हैं और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में बिजली उद्योग पर लागू होती हैं, उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें ऐसे कानून में दिया गया है;

3. अपील दाखिल करना:

- 1) अधिनियम की धारा 126 के तहत मूल्यांकन अधिकारी द्वारा दिए गए अंतिम आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति आदेश के 30 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकता है।
- 2) उपरोक्त (1) के तहत मूल्यांकन के अंतिम आदेश के खिलाफ किसी भी अपील पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि पीड़ित उपभोक्ता/व्यक्ति (1) के तहत राशि का एक तिहाई नकद या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से लाइसेंसधारी, दस्तावेजी साक्ष्य और अपील के साथ संलग्न ऐसी जमा राशि की रसीद जमा नहीं करता है।
- 3) अपील अनुसूची में निर्दिष्ट प्रपत्र में की जाएगी।
- 4) अपील के ज्ञापन पर अनुसूची में निर्दिष्ट तरीके से हस्ताक्षर और सत्यापन किया जाएगा।
- 5) अपील का ज्ञापन निम्नलिखित शुल्क के साथ होगा:

मूल्यांकित राशि	शुल्क
1 लाख रुपये तक	निर्धारित राशि का 1%, न्यूनतम रु. 250 (दो सौ पचास मात्र)
1 लाख रुपये से ऊपर	निर्धारित राशि का 0.75%, न्यूनतम रु. 1000 (एक हजारमात्र) के अधीन

- 6) शुल्क का भुगतान अपीलीय प्राधिकारी के पक्ष में रेखांकित बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चेक द्वारा किया जाएगा।
- 7) जहां तक संभव हो अपीलीय प्राधिकारी अपील दायर करने की तिथि से 120 दिनों के भीतर एक आदेश पारित करेगा।

4. विविध:

- (1) विद्युत अधिनियम, 2003और इन विनियमों के प्रावधानों के अधीन, आयोग, समय-समय पर, इन विनियमों के कार्यान्वयन और विभिन्न मामलों पर अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के संबंध में आदेश और निर्देश जारी कर सकता है जिसे आयोग को इन विनियमों द्वारा निर्देशित करने और उसके प्रासंगिक या सहायक मामलों के लिए सशक्त बनाया गया है।
- (2) आयोग, किसी भी समय, इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को जोड़, बदल, परिवर्तित, संशोधित या सुधार कर सकता है।

(3) यदि इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो आयोग अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत न होते हुए कुछ भी कर सकता है, जो कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक या समीचीन प्रतीत होता है।

आयोग के आदेश द्वारा।

वी. के. धर, (जेकेएएस) सचिव, जेईआरसी [विज्ञापन-III/4/असा./557/2023-24]

अनुसूची

विद्युत अधिनियम, 2003की धारा 127(1) के तहत अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील

धारा 126 के अंतर्गत अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील

	के अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील
202 काक्रमांक	_ देखिए
(उपभोक्ता संख्या और उपभोक्ता श्रेर्ण	ो सहित उपभोक्ता का नाम और पता) अपीलकर्ता
	और

- 1. (निर्धारण अधिकारी का नाम और पता पदनाम सहित)
- 2. (लाइसेंसधारी का नाम और पता)

उत्तरदाता

विद्युत अधिनियम, 2003की धारा 127 के तहत अपील

- अपीलकर्ता का विवरण
 - क. अपीलकर्ता का पूरा नाम:
 - ख. अपीलकर्ता का पूरा पता:
 - ग. संपर्क व्यक्ति का नाम, पदनाम एवं पता :
 - घ. संपर्क टेलीफोन क्रमांक फैक्स क्रमांक ईमेल-आईडी सेवा क्रमांक सेवा की श्रेणी
- 4. वितरण लाइसेंसधारी का विवरण
 - क. संबंधित मंडल अभियंता/अनुभाग अधिकारी का नाम
 - ख. मंडल अभियंता/सेवा अधिकारी के कार्यालय का पता
- निर्धारण अधिकारी का विवरण
 - क. नाम
 - ख. पद का नाम
 - ग. कार्यालय का पता.
- 6. संबंधित परिसर का पता
- 7. अनुबंधित भार/स्वीकृत भार
- 8. संयोजित लोड (निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार)
- 9. स्थापित मीटर का विवरण
- 10. निरीक्षण की तिथि

	(निरीक्षण	ियोर्ट	की	ਧਰਿ	संलग	करें।
١	ानराक्षण	ारपाट	વગ	חוג	ललप्र	भर)

- 11. निरीक्षण अधिकारी का नाम और पता
- 12. अनंतिम मूल्यांकन की तिथि
- 13. राशि जिसका अनंतिम मूल्यांकन किया गया है
- 14. अनंतिम मूल्यांकन के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा अभ्यावेदन की तिथि
- 15. निर्धारण अधिकारी द्वारा अभ्यावेदन की सुनवाई की तिथि और अंतिम आदेश की तिथि। (अंतिम आदेश की सत्य प्रतिलिपि संलग्न की जानी है)
- 16. कथित अनधिकृत उपयोग की प्रकृति
- 17. मूल्यांकन अधिकारी के निर्णय का सार
- 18. क्या मुद्दे की अवधि के संबंध में कोई राशि भुगतान/जमा की गई है और यदि हां, तो उसका विवरण
- 19. क्या अपीलकर्ता ने विवादित राशि का आधा भुगतान कर दिया है और यदि हां तो उसका विवरण क्या है?
- 20 चनौती का आधार

201 3 11 11 11 11 11	
21. (उस मामले का आधार बताएं जिस पर अपील दायर की गई है	ह और अंतिम आदेश टिकाऊ क्यों नहीं है इसके कारण)
22. शुल्क का विवरण	
<u>प्रार्थना</u>	
अतः प्रार्थना की जाती है कि	
	अपीलकर्ता का नाम और हस्ताक्षर
<u>सत्यापन</u>	
मैं, (अपीलकर्ता का नाम पूर्ण एवं बड़े अक्षरों में)पुत्र/पुत्री/पत्नी सत्य में बताए गए तथ्य मेरी जानकारी के अनुसार सत्य हैं।(या के आधार पर और मेरे अनुसार यह सच है); इसका कोई भी भाग गई है और मेरा माननाहै कि यह सही और सत्यापित है और	से मिली जानकारी गलत नहीं है और कोई भी महत्वपूर्ण बात छिपाई नहीं
स्थान:	अपीलकर्ता का नाम और हस्ताक्षर
तिथि:	
संलग्नकों की सूची:-	
1. निर्धारण अधिकारी के आदेश की सत्य प्रति।	
, ,	

- 2. शुल्क के निपटान का संदर्भ।
- 3. मूल्यांकित राशि की 1/3 राशि जमा करने का सन्दर्भ।

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the UT of J&K and the UT of Ladakh)

NOTIFICATION

Jammu, the 10th November, 2023

No. JERC-JKL/Reg/2023/15—In the exercise of powers under Section 127 (1) read with Section 181 (2) (zo) of the Electricity Act, 2003, the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh hereby makes the following Regulations providing for procedure for filing appeal before the Appellate Authority from the final order passed by the Assessing Officer under Section 126 of the said Act: —.

1. Short Title and Commencement:

- (1) These regulations may be called The Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh (Procedure for filing Appeal before the Appellate Authority) Regulations, 2023.
- (2) These Regulations shall be applicable to the Distribution Licensees in their respective areas of supply in the whole of the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh.
- (3) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions

In these regulations, unless the context otherwise requires: —

- a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
- b) "Appellate Authority" means the authority notified under sub-section (1) of Section 127 read with Section 176 (2) (u) of the Act;
- c) "Assessing Officer" means the assessing officer appointed under Section 126 of the Act;
- d) "Commission" means the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh.
- e) "Licensee" means a Distribution Licensee authorized to operate and maintain a distribution system and supply electricity to consumers in the concerned area of supply;
- f) "Officer" means an Officer of the Commission;
- g) "Regulations" means the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh (Procedure for filing Appeal before the Appellate Authority) Regulations, 2023; and
- h) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act shall have the meanings assigned to them in the Act. Expressions used herein but not specifically defined in these regulations or in the Acts but defined under any law passed by a competent legislature and applicable to the electricity industry in the state/UT shall have the meaning assigned to them in such law.

3. Filing of appeal:

- (1) Any person aggrieved by a final order made by an assessing officer under Section 126 of the Act, may within 30 days of the order, file an appeal before the Appellate Authority.
- (2) No appeal against the final order of assessment under (1) above shall be entertained unless the aggrieved consumer/person deposits one—third of the amount under (1) by the way of cash or bank draft above with the licensee, documentary evidence and encloses receipt of such deposit has been enclosed along with the appeal.
- (3) The appeal shall be made in the form specified in the Schedule.
- (4) The memorandum of appeal shall be signed and verified in the manner specified in the Schedule.
- (5) The Memorandum of Appeal shall be accompanied by the following fee:

Amount Assessed	Fee
Up-to Rs. 1 lakh	1% of the assessed amount subject to a minimum of Rs. 250 (two hundred and fifty only)
Above Rs. 1 Lakh	0.75% of the assessed amount subject to a minimum of Rs. 1000 (one thousand only)

(6) The fee shall be paid by a crossed bank draft or banker cheque in favour of the Appellate Authority may direct.

As far as may be practicable the Appellate Authority shall pass an order within 120 days from the date of filing (7) an appeal.

4. Miscellaneous:

- Subject to the provisions of the Electricity Act, 2003 and these regulations, the Commission may, from time to time, issue orders and directions in regard to the implementation of these Regulations and procedures to be followed on various matters, which the Commission has been empowered by these Regulations to direct and matters incidental or ancillary thereto.
- (2) The Commission may, at any time, add, vary, alter, modify, or amend any of the provisions of these Regulations.
- (3) If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or special order, do anything not being inconsistent with the provisions of the Act, which appears to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties.

By order of the Commission.

V. K. DHAR, (JKAS) Secy., JERC [ADVT.-III/4/Exty./557/2023-24]

SCHEDIII E

APPEAL BEFORE THE APPELLATE AUTHORITY UNDER SECTION 127(1) OF ACT, 2003	THE ELECTRICITY
Appeal against final order under section 126	
ppeal against final order of	
ide Noof 202	
Name and address of the Consumer including Consumer No.& Consumer category)	Appellant
AND	
1. (Name and address of the Assessing Officer including designation)	
2. (Name and address of the licensee)	
	Respondents
Appeal under Section 127 of the Electricity Act, 2003	
3. Details of Appellant	
a. Full Name of the Appellant :	
b. Full Address of the Appellant :	
c. Name, Designation & Address :	
Called Constant Program	

of the Contact Person

d. Contact Telephone Numbers

Fax Number(s)

Email-Id

Service No.

Category of Service

- 4. Details of the Distribution Licensee
 - a. Name of the concerned Divisional Engineer/ Section Officer
 - b. Address of the office of the Divisional Engineer/ Service Officer
- 5. Details of the Assessing Officer
 - Name
 - b. Designation
 - Address of the Office.
- 6. Address of the premises concerned
- Contracted Load/Sanctioned Load
- **8.** Connected Load (as per inspection report)

- 9. Particulars of the meter installed
- 10. Date of Inspection

(Copy of the inspection report to be enclosed)

- 11. Name and address of the Inspecting Officer
- 12. Date of the provisional assessment
- 13. Amount provisionally assessed
- 14. Date of the representation by the Appellant against provisional assessment
- **15.** Date of the hearing of the representation by the Assessing Officer and date of the final order. (True copy of the final order is to be enclosed)
- 16. Nature of the unauthorized use alleged
- 17. Gist of the decision of the assessing officer
- 18. Whether any amount assessed paid/deposited relating to the period in issue and if so the details thereof
- 19. Whether the appellant has paid one-half of the disputed amount and if so the details thereof
- 20. Grounds of Challenge
- **21.** (State the grounds of the case on which the appeal is filed and the reason(s) why the final order is unsustainable)
- 22. Details of Fees

PRA	AYER
	Name and Signature of the Appellant
VERIF	ICATION
stated in the above Memorandum of Appeal are true to	hter/wife of solemnly declare that the facts of my knowledge (or based on information from and and nothing material has been concealed therefrom and leading on
Place:	Name and signature of the Appellant
Date:	
LIST OF ENCLOSURES: -	
1. True copy of the order of the Assessing officer.	
2. Reference of disposition of fee.	
3. Reference of deposition of 1/3rd amount of the assessed	l amount.
4	
5	